THE CABINET MISSION PLAN(PART-1)

FOR:U.G.PART-3,PAPER-6

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

पृष्ठभूमि

भारत की राजनीतिक स्थिति में जिस तेजी से परिवर्तन होता जा रहा था उसे ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ***श्री एटली*** ने **16 फरवरी सन् 1946** को इंग्लैंड की संसद में यह घोषणा की कि कैबिनेट के **3 सदस्य** इस उद्देश्य से भारत भेजे जाएंगे कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर स्वतंत्रता के संबंध में योजना बनाएं।

- यह प्रतिनिधिमंडल जो कैबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ का मुख्य काम था-

पृष्ठभूमि

1. भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक बातचीत करना।
2. एक संविधान निर्माण संस्था की स्थापना करना
3. भारत में संपूर्ण सुशासन स्थापित करना

कैबिनेट मिशन का भारत आगमन

- **24 मार्च 1946** को तीन कैबिनेट सदस्यों का एक मिशन भारत आया जिसमें भारत मंत्री **लार्ड पैथिक लोरेंस**(मिशन का नेतृत्व कर्ता), व्यापार मंडल (Board of Trade)के प्रधान **सर स्टेफार्ड क्रिप्स**, तथा नौ अधिकरण के प्रथम लॉर्ड (First Lord of Admiralty)**श्री ए.वी. एलेक्जेंडर** शामिल थे।
- मिशन ने पत्रकारों के बीच एक वक्तव्य में बताया कि वह खुला मस्तिष्क लेकर भारत आया है तथा किसी भी दृष्टिकोण से बँधा नहीं है।इसने प्रथम 3 सप्ताह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, वायसराय की

कैबिनेट मिशन का भारत आगमन

कार्यकारी परिषद के सदस्यों तथा देशी रियासतों के शासकों आदि के साथ विचार विमर्श करने में व्यतीत किये।इसने **5 मई** को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के चार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस तथा लीग के बीच समझौता करके कोई निश्चित योजना बनाना था लेकिन मुस्लिम लीग देश के विभाजन पर अड़ी थी अतः शिमला कॉन्फ्रेंस में हल नहीं निकल सका। इसके पश्चात **16 मई 1946 ई.** को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित कर दी।

कैबिनेट मिशन योजना

1. भारत एक संघ होगा जिसमें **ब्रिटिश भारत** के प्रांत तथा **देशी रियासतें** दोनों सम्मिलित होंगे। विदेश नीति,रक्षा तथा यातायात विभाग संघ के अंतर्गत होंगे। अवशिष्ट शक्तियां **प्रांतों** को प्राप्त होगी। देशी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में वह सब विषय होंगे जो वह संघ को प्रदान न करें।
2. संघीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतें दोनों के प्रतिनिधियों होंगे। संघीय व्यवस्थापिका में किसी

कैबिनेट मिशन योजना

सांप्रदायिक समस्या पर कोई प्रस्ताव बिना उस प्रस्ताव से संबंधित संप्रदाय के प्रतिनिधियों के बहुमत के स्वीकृति के पास नहीं होगा।

3. प्रांतों को अपने पृथक प्रशासन संबंधी वर्ग बनाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के **3 वर्ग** होंगे:-

1. **ग्रुप A-** इसमें हिंदू बहुमत वाले छह प्रांत शामिल किए गए - मद्रास ,बम्बई,संयुक्त प्रांत ,मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा।

कैबिनेट मिशन योजना

2. **ग्रुप B**- इसमें मुस्लिम बहुल वाले तीन प्रांत पंजाब ,सिंध तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को रखे गए।

3.**ग्रुप C**- बंगाल तथा असम को रखा गया

- चीफ कमिश्नर के **4 प्रांतों** दिल्ली, अजमेर ,मारवाड़ तथा कुर्ग को ग्रुप ए के साथ जोड़ दिया गया तथा बलूचिस्तान को ग्रुप बी के साथ मिला दिया गया।
- इन वर्गों को यह निश्चय करना था की प्रांतों के लिए सामूहिक

कैबिनेट मिशन योजना

विधान की व्यवस्था की जाए अथवा नहीं ।यदि ऐसा किया जाए तो वर्ग को किन विषयों का प्रबंध सौंपा जाए। प्रांतों को स्वेच्छा से अपने समूह से निकल जाने का भी अधिकार प्रदान किया गया।

- प्रांतों के इस प्रकार वर्गीकरण के संदर्भ में **लार्ड पैथिक लोरेंस** का विचार था कि –प्रांत वर्गों के रूप में इसलिए एक साथ संगठित होना चाहेंगे कि सामूहिक रूप से प्रांत की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र की सेवाओं का संचालन कर सके।'

कैबिनेट मिशन योजना

4. संविधान का निर्माण करने के सवाल पर मिशन का प्रस्ताव था कि हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय विधान मंडलों के आधार पर संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या(लगभग **10 लाख** के लिए एक प्रतिनिधि) के आधार पर सीटें आवंटित की जाये। अल्पसंख्यकों के लिए सभी रियायतें समाप्त कर दी जानी थी तथा केवल **तीन** प्रकार के निर्वाचक समूह बनने थे- हिंदू, मुसलमान तथा सिक्ख (केवल पंजाब में)।

कैबिनेट मिशन योजना

- इस संवैधानिक सभा में **389 सदस्य** होंगे- **292 ब्रिटिश भारत** के, **93 देशी रियासतों** के तथा **चार चीफ कमिश्नर** के प्रांतों से। प्रांतों की सीटें प्रत्येक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाएगी। इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक विधानसभा में उनके अपने समुदाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा । सीटों का बंटवारा इस तरह किया गया- **हिंदू 210 ,मुस्लिम 78** तथा **सिक्ख 4**।
- यह संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही चुना जाना था

कैबिनेट मिशन योजना

क्योंकि व्यस्क मताधिकार के आधार पर इस के चुनाव में बहुत समय लग जाता ।

- इस प्रकार बनी हुई संविधान सभा को वर्गों के अनुसार **तीन** भागों में बांटा जाना था। प्रत्येक भाग अपने-अपने वर्ग के लिए संविधान बनाएगा और निर्णय भी करेगा कि क्या संपूर्ण देश के लिए संविधान बनाया जाए? तीनों वर्ग तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर अर्थात संपूर्ण संविधान सभा **संघीय संविधान** का निर्माण करेंगे। इसके लिए एक परामर्शदात्री समिति भी बनाई जाएगी जो नागरिक को

कैबिनेट मिशन योजना

अल्पसंख्यक , जनजातियों तथा अपवर्जित प्रदेशों के अधिकारों के विषय में परामर्श देगी।

- सांप्रदायिकता के प्रश्न पर मिशन ने सिफारिश की कि इससे संबंधित कानून पर समुदाय विशेष की उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत तथा सभी उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है ।यदि संवैधानिक सभा संप्रदायिकता के प्रश्न पर मिशन की सिफारिशों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह केवल हिंदू तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों के बहुमत के

कैबिनेट मिशन योजना

आधार पर ही किया जाए। संवैधानिक सभा एक सार्वभौम संस्था नहीं होगी।

- मिशन ने अपनी योजना में स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रस्ताव संबंधी माँग को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया:-

1. पाकिस्तान बनने से उन अल्पसंख्यकों की समस्या जो मुसलमान नहीं है वह हल नहीं होगी ।ये लोग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में समस्त जनसंख्या का 37.93% होंगे और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 48.3% होंगे।

कैबिनेट मिशन योजना

मिशन का विचार था कि पंजाब, बंगाल तथा आसाम के हिंदुओ बहुसंख्यक क्षेत्रों को पाकिस्तान की प्रस्तावित योजना में मिलाना अनुचित होगा।

2. यह नया राज्य प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी व्यवहारिक नहीं होगा।

3. भारत की संचार और डाक-तार व्यवस्था को बांटने का कोई लाभ नहीं होगा।

कैबिनेट मिशन योजना

4. सेना को बांटने से देश को बहुत हानि होगी

5. रियासतों को एक अथवा दूसरे संघ में सम्मिलित होना बहुत कठिन होगा ।

6. पाकिस्तान के दो भागों की एक दूसरे से 700 मील की दूरी उसके हित में नहीं होगी और युद्ध तथा शांति की स्थिति में संचार व्यवस्था भारत के सद्भाव पर ही निर्भर होगी ।

. To be continued.....